

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं मनोज कुमार दावडा

ग्राम कुमारी तिलैया पो. तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा कुलिया
2. थाना तिलैया
3. थाना न० 01
4. खाता न० 1, 15
5. प्लॉट न० 682/705, 11
6. रकबा 1.09 डी०, 2.98 डी०
7. भूमि का किस्म रूपाती
8. अद्यतन रसिद न० 0841612538
9. दा० खारिज वाद संख्या 702 (2005/06)

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

मनोज कुमार दावडा  
विश्वासमाजन

107  
08/11/23

श्रीमान् जी

K. V. D. D. A.  
11/04/23

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...168...../2023

आवेदक श्री मनोज कुमार छावड़ा पिता स्व० मोहनलाल छावड़ा साकिन-नन्दीबाबा चौक, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
झलपो	1	1	682/705	1.09 डी०	रैयती
		15	11	2.98 डी०	

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...168.../...104.../2023 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-झलपो, थाना नं०-1, खाता सं०-1, प्लॉट सं०-682, रकवा-1.09 डी०, खाता सं०-15, प्लॉट सं०-11, रकवा-2.98 डी० कुल रकवा-4.07 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-72 भाग संख्या-7 पर श्री मनोज कुमार छावड़ा पिता स्व० मोहनलाल छावड़ा के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-1066 दिनांक-28.02.2004 द्वारा प्राप्त है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-1702/2005-06 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। उक्त भूमि बकास्त खाते की है। शपथ पत्र संख्या-94 दिनांक 03.04.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-झलपो, थाना नं०-1, खाता सं०-1, प्लॉट सं०-682, रकवा-1.09 डी०, खाता सं०-15, प्लॉट सं०-11, रकवा-2.98 डी० कुल रकवा-4.07 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।